

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 156 : Persons deemed to be public servants.

All persons discharging functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

धारा 156 : व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाएगा

इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
